न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

स्योकरमल बनाम कमल कुमार वगै

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

हैक्टर, 2107 रकबा 0.4600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर में वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स एंव मौके के कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्सा अनुसार विधिक तकास्मा किया जाकर अलग से मिन बट्टा नम्बर डालते हुए बाई मीट्स एंव बाउण्ड्स पृथक–पृथक लगान कायम करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में बट्टा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें। विभाजन प्रस्ताव में खातेदारों को अपनी भूमियों में पहुँच हेतु रास्तों को भी ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावें। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व यथा सम्भव सुनवाई हेतु पक्षकारान् को नोटिस देकर सूचित करें। विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के पत्रांकः राम/ न्याया/ स्था/ प–51/ 2008/ विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया जावें। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मय न जरी नक्शा मॅगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है।

इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हों। प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवायें जाने हेतु तहरीर आदेश जारी हो। वास्ते प्राप्त होने विधिक विभाजन प्रस्ताव पत्रावली दिनांक 23.04.2021 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.13 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

05.07.2021 वकील वादी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी मय प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश करने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 14.07.2021 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सोहनलाल बनाम कमल कुमार वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु.नं. - 49/2021
	प्राथमिक डिक्री की पालना होकर जरिये पत्रांक 1703/भू.अ./2021 दिनांक 02.07.2021 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है। उक्त प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से वकील वादी पक्षकार सहमत है। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु प्रकरण में शीघ्र सुनवाई किये जाने का निवेदन वकील वादी द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया है।
	वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली को आगामी तारीख पेशी से पूर्व तलब की जाकर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार(भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1703/भू.अ./21 दिनांक 02.07.2021 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत होने बाबत अवगत कराते हुए प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में आज ही अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की एक पक्षीय बहस व सहमति के आधार पर तहसीलदार (भू0अ0) श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन तथा बहस पर मनन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि पक्षकारान् के मध्य बाई मीट्स एंव बाउण्डस के विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं है अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दावा वादी अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
	अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1703/भू.अ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.13 14:47:58 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सांवरमल बनाम सुमन कुमार वगै

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
दफा	क्र.न - 49/2021	

/2021 दिनांक 02.07.2021 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा को डिक्री का भाग बनाया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी भॉति प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
आर ए एस
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
आर ए एस
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.13 14:46:38 IST
Reason: SelfAttested